निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1932 (श0)

(सं0 पटना 800) पटना, शुक्रवार 24 दिसम्बर 2010

सं0 3ए–2–वे0पु0–12/2009—14090

वित्त विभाग

संकल्प

16 दिसम्बर 2010

विषयः– बिहार न्यायायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04 मई 2010 को पारित आदेश के आलोक में न्यायमूर्ति पद्मनाभन आयोग द्वारा अनुशंसित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) का गठन किया गया था ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2002 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प सं0 2923, दिनांक 16 अप्रील 2004 द्वारा लागू किया गया था।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अप्रील 2009 के आदेश द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग के प्रतिवेदन (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) द्वारा अनुशंसित वेतनमान एवं भत्तों के पुनरीक्षण हेतु न्यायमूर्ति पद्मनाभन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया एवं इसे न्यायिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं सेवोत्तर लाभ के पुनरीक्षण पर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया । पद्मनाभन आयोग द्वारा प्रतिवेदन 17 जुलाई 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समर्पित किया गया ।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 मई 2010 को पारित आदेश द्वारा पद्मनाभन आयोग की वेतन, भत्ते, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं सेवोत्तर लाभ से संबंधित अनुशंसाओं को 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू करने का भारत संघ के सभी राज्य सरकारों को निदेश दिया गया जिसके क्रम में न्यायमूर्ति ई0 पद्मनाभन आयोग की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के वेतन पुनरीक्षण से संबंधित अनुशंसा एवं 01 जनवरी 2006 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान की तालिका निम्नांकित हैः–

क्र0 स0	पदनाम एवं मूल कोटि वेतन	प्रथम सु0नि0वृ0उ0 योजना वेतनमान	द्वितीय सु0नि0वृ0उ0 योजना वेतनमान
1.	असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग, प्रवेश बिन्दु 27700–770–33090–920–40450–1080–44770	33090–920–40450–1080– 45850 सेवा में प्रवेश के पाँच वर्ष लगातार सेवा के उपरांत ।	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010 पाँच वर्ष लगातार सेवा पूर्ण करने के उपरांत ।
2.	असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग, प्रवेश बिन्दु 39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	43690–1080–49090–1230– 56470 पाँच वर्ष लगातार सेवा के उपरांत ।	51550–1230–58930–1380–63070 पाँच वर्ष लगातार सेवा पूर्ण करने के उपरांत ।
3.	जिला न्यायाधीश, प्रवेश बिन्दु 51550–1230–58930–1380–63070	57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290 (प्रवरकोटि) संवर्गीय पदों के 25 प्रतिशत उपलब्ध पद पर वरीयता–सह–योग्यता के क्रम में उन पदाधिकारियों को, जिन्होंने कम–से–कम पाँच वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की हो ।	70290–1540–76450 (अधिकाल) प्रवर कोटि के 10 प्रतिशत पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के क्रम में उन पदाधिकारियों को, जिन्होंने प्रवर कोटि जिला न्यायाधीश के पद पर कम–से–कम तीन लगातार वर्ष की सेवा पूर्ण किया हो ।

5. पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की शर्त्तों में किसी परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है ।

6. अतः कंडिका 2 में वर्णित सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के शर्त्तों के अधीन उपर्युक्त वर्णित वेतनमान में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना को दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in